केंद्रीय बजट **2026-27** की मुख्य विशेषताएं

पिछले 12 वर्षों में, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के केंद्रित निर्णयों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ने स्थिर विकास और कम मुद्रास्फीति के साथ लगातार प्रगति की है। सरकार ने अस्पष्टता पर कार्रवाई, लफ्फाजी पर सुधार और लोकलुभावनवाद पर लोगों को प्राथमिकता दी है।
आर्थिक सुधार और प्रगति**:**

- सरकार ने रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और विकास में तेजी लाने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं।
- 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं।
- इनमें जीएसटी सरलीकरण, श्रम संहिताओं (Labour Codes) की अधिसूचना और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण शामिल है।
- ये पहल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और बोझिल नियमों को कम करके नागरिकों और व्यवसायों के लिए 'जीवन जीने की सुगमता' (Ease of Living) और 'व्यापार करने की सुगमता' (Ease of Doing Business) में सुधार करती हैं।

सरकार का 'संकल्प' गरीबों, वंचितों और पिछड़ों का समर्थन करना है, जो तीन कर्तव्यों (Kartavya) से प्रेरित है:

कर्तव्य **1:** आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना

बजट 6 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:
1. विनिर्माण **(Manufacturing)** को बढ़ाना**:**

- बायोफार्मा**:** भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए 'बायोफार्मा शक्ति' (Biopharma SHAKTI) की शुरुआत, जिसके तहत 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा।
- सेमीकंडक्टर**:** उपकरण, सामग्री और पूर्ण स्टैक भारतीय आईपी डिजाइन करने के लिए 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0' लॉन्च किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स**:** इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए आवंटन बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ किया गया।
- दुर्लभ मृदा **(Rare Earth):** ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' स्थापित करने के लिए समर्थन।
- रसायन**:** 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए राज्यों को समर्थन देने वाली योजना।
- पूंजीगत वस्तुएं **(Capital Goods):** 2 स्थानों पर हाई-टेक टूल रूम और निर्माण उपकरण (CIE) को बढ़ाने के लिए योजना शुरू की जाएगी।
- कंटेनर**:** कंटेनर विनिर्माण के लिए ₹10,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ एक योजना।

2. कपड़ा क्षेत्र **(Textile Sector):** 5-भाग का एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित है:

- (क) विभिन्न रेशों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना।
- (ख) टेक्सटाइल विस्तार और रोजगार योजना।
- (ग) बुनकरों और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम।
- (घ) टिकाऊ वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए टेक्स-इको (Tex-Eco) पहल।
- (ङ) टेक्सटाइल कौशल के लिए समर्थ (Samarth) 2.0।
- खादी और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' पहल शुरू की जाएगी।

3. एमएसएमई **(MSMEs)** को चैंपियन बनाना**:**

- इक्विटी सहायता**:** ₹10,000 करोड़ का 'एसएमई ग्रोथ फंड' (SME Growth Fund) शुरू किया जाएगा और 'आत्मनिर्भर भारत फंड' में ₹2,000 करोड़ और जोड़े जाएंगे।
- तरलता सहायता**:** TReDS के प्रभाव को अधिकतम किया जाएगा।
- पेशेवर सहायता**:** अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए टियर-II और टियर-III शहरों में 'कॉर्पोरेट मित्र' का संवर्ग तैयार किया जाएगा।

4. इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा**:**

- वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Public Capex) को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ (अब तक

का सर्वाधिक) करने का प्रस्ताव है।
- राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) के तहत ₹1.85 लाख करोड़ का आवंटन, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है।
- प्रभावी पूंजीगत व्यय (Effective Capex) जीडीपी का 4.4% प्रस्तावित है।
- लॉजिस्टिक्स: डानकुनी से सूरत तक नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways) शुरू किए जाएंगे।

5. ऊर्जा सुरक्षा:
- बिजली, स्टील, सीमेंट आदि उद्योगों के लिए कार्बन कैप्चर (CCUS) तकनीकों को बढ़ाने के लिए 5 वर्षों में ₹20,000 करोड़ का निवेश।

6. शहर और हाई-स्पीड रेल:
- शहरों के विकास चालकों के आधार पर 'सिटी इकोनॉमिक रीजन' (CER) की मैपिंग की जाएगी, जिसके लिए प्रति CER ₹5,000 करोड़ का आवंटन होगा।
- 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी।

कर्तव्य 2: लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण

1. स्वास्थ्य:
- अगले 5 वर्षों में 1,00,000 एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स (AHPs) जोड़े जाएंगे।
- आने वाले वर्ष में 1.5 लाख देखभाल करने वालों (caregivers) को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र (Regional Medical Hubs) स्थापित किए जाएंगे।
- 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

2. शिक्षा:
- प्रमुख औद्योगिक गलियारों के पास 5 'यूनिवर्सिटी टाउनशिप' बनाने में राज्यों का समर्थन किया जाएगा।
- हर जिले में 1 गर्ल्स हॉस्टल स्थापित किया जाएगा।
- 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं (जैसे विशाल सौर टेलीस्कोप) स्थापित या अपग्रेड की जाएंगी।

3. खेल और पर्यटन:
- खेल क्षेत्र को बदलने के लिए 'खेलो इंडिया मिशन' शुरू किया जाएगा।
- मौजूदा परिषद को अपग्रेड करके 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी' की स्थापना की जाएगी।
- लोथल, धोलावीरा, सारनाथ और लेह पैलेस सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

कर्तव्य 3: सभी के लिए संसाधन और अवसर (सबका साथ, सबका विकास)

1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र:
- तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसानों के लिए एग्रीस्टैक और आईसीएआर पैकेज को एकीकृत करने वाला एआई टूल 'भारत-विस्तार' (Bharat-VISTAAR) लॉन्च किया जाएगा।
- मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा।

2. महिला और दिव्यांगजन:
- ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए 'शी-मार्ट' (SHE-Marts) स्थापित किए जाएंगे।
- दिव्यांगजनों के लिए आईटी और हॉस्पिटैलिटी में रोजगार के लिए 'दिव्यांगजन कौशल योजना'।
- सहायक उपकरणों तक पहुंच के लिए 'दिव्यांग सहारा योजना'।

3. पूर्वोदय और वित्तीय क्षेत्र:
- दुर्गापुर में नोड के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा।
- पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे और 4,000 ई-बसें प्रदान की जाएंगी।
- अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम आदि में बौद्ध सर्किट विकास योजना।
- बड़े शहरों द्वारा ₹1000 करोड़ से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने पर ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन।

- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (PROI) के लिए निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव।

भाग ख **(PART B) -** कर प्रस्ताव **(Tax Proposals)**

अप्रत्यक्ष कर **(Indirect Tax):**

- कस्टम सुधार: टियर 2 और 3 ऑपरेटरों (AEOs) के लिए शुल्क स्थगन अवधि 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन की गई।
- खाद्य, दवाओं आदि की निकासी के लिए अप्रैल 2026 तक सिंगल डिजिटल विंडो चालू की जाएगी।
- निर्यात: भारतीय जहाजों द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। कूरियर निर्यात पर ₹10 लाख की वैल्यू कैप पूरी तरह हटा दी गई है।
- राहत: लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट। कैंसर की 17 दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट।
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य सामानों पर टैरिफ दर 20% से घटाकर 10% की गई।

प्रत्यक्ष कर **(Direct Tax):**

- राहत: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से मिलने वाला ब्याज आयकर मुक्त होगा और इस पर टीडीएस हटा दिया जाएगा।
- विदेशी टूर पैकेज और शिक्षा/चिकित्सा (LRS के तहत) के लिए टीसीएस (TCS) दर घटाकर 2% कर दी गई है।
- विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण: छोटे करदाताओं के लिए एक बार की 6 महीने की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना (Foreign Asset Disclosure Scheme)। श्रेणी A (₹1 करोड़ तक की अघोषित संपत्ति) के लिए 60% कर और अभियोजन से मुक्ति।
- दंड और अभियोजन: जुर्माने और अभियोजन की कार्यवाही को एक ही आदेश में एकीकृत किया जाएगा। तकनीकी चूकों (जैसे टीडीएस भुगतान में देरी) को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा।
- सहकारी समितियां: प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा पशु आहार की आपूर्ति को कटौती में शामिल किया गया।
- आईटी सेक्टर: सभी सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं के लिए 15.5% का सामान्य सेफ हार्बर मार्जिन। क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे।
- अन्य: सभी शेयरधारकों के लिए टैक्स बायबैक को कैपिटल गेन्स (Capital Gains) माना जाएगा। अप्रैल 2026 से MAT को अंतिम कर माना जाएगा और इसकी दर 15% से घटाकर 14% कर दी जाएगी।